20-6-17 पत्रावली राजस्व कैम्प का अदालत लगिमान

न्याय आपके द्वार - 2017 कैम्प दरीबा पर पेश हुई।
पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली की गई। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर
दायर नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) मोलेला

प्रकरण संख्या – 39/2017

1. हस्तचन्द्र पुत्र स्व0 श्री नूला जी पूर्बिया, निवासी शनिदेव मन्दिर के पास गाडरीखेडा, गांधीनगर तहसील व जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1. ईसर बाई पत्नि श्री प्यारचन्द्र गाडरी, निवासी बालाजी मन्दिर के पास गाडरी खेडा गांधीनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. सादिक खॉ पिता अकबर खॉ पठान, निवासी केअर ऑफ पठान केसर समोडी तहसील व जिला भीलवाडा।
3. देबीलाल पिता भवाना अहीर, निवासी समोडी(दरीबा) तहसील व जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ़।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 20.06.2017

प्रार्थी की और से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 09.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम समोडी पटवार हल्का दरीबा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल, तहसील व जिला भीलवाडा मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 1174/1031 रकबा 03–08 बीघा, कुल किता 01 कुल रकबा 03–08 बीघा भूमि स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है । प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है । इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है । आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 15.02.2017 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 03 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने क उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित मे एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण क अवलोकन से यह बात है कि प्रार्थी का स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील भीलवाडा ग्राम समोडी मे स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि न0 1174/1031 रकबा 03–08 बीघा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड नियम 1956 के प्रावधानो मे निर्धारित प्रकिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/–रू0 पक्षकार – प्रार्थी राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें ।

आदेश आज दिनांक 20.06.2017 को खुला न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें ।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भीलवाडा